अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना

भारत सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार जोधपुर डिस्कॉम सन् 2009 तक प्रत्येक गाँव में तथा सन् 2012 तक प्रत्येक घर में विधुत आपूर्ति करेगा। इस हेतु जोधपुर डिस्कॉम ने जिला कलक्टर की अध्यक्षता वाली जिला विधुत समिति के माध्यम से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना में कार्य करने हेतु प्रस्ताव बनाकर आर.ई.सी से स्वीकृत कराये हैं।
इस योजना में यह प्रावधान किया गया है कि योजना आयोग से इस योजना हेतु तभी धनराशि दी जायेगी जब कि इसके प्रस्ताव जिला विधुत समिति द्वारा अनुमोदित किये गये हों तथा विधुत व्यवस्था की देखरेख के लिये फ्रैंचाइजी नियुक्त किये गये हों।
इन प्रस्तावों के अनुसार जोधपुर डिस्कॉम द्वारा मार्च 2007 तक राजीव गांधी विद्युतिकरण कार्यक्रम चलाया जायेगा। इस योजना में 90 प्रतिशत राशि ग्रामीण विद्युतिकृत कारपोरेशन (आर.ई.सी.) से अनुदान के रूप में तथा शेष 10 प्रतिशत राशि कम ब्याज दर पर ऋण के रूप में प्राप्त हुई है।

इस कार्यक्रम के तहत जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही, जालोर, चूरू जिलों एवं नागौर जिले की लाडनू पंचायत समिति में 122 करोड़ 9 लाख 40 हजार रुपये व्यय किये जायेंगे।
इस कार्यक्रम के तहत जोधपुर जिले की नौ पंचायत समितियों में 1 हजार 58 गाँवों तथा 1 हजार 183 ढाणियों में 70 हजार 38 घरों को विधुत कनेक्शन दिए जाने प्रस्तावित हैं जिनमें से 30 हजार 365 विधुत कनेक्शन गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को दिए जाने की योजना हैं। इस प्रकार जोधपुर जिले मे 28 करोड़ 53 लाख 85 हजार रुपये ग्रामीण विद्युतिकरण पर व्यय किए जाएंगे।

इस प्रकार जैसलमेर जिले की तीन पंचायत समितियों में 446 गांवो एवं 515 ढाणियों मे 18 हजार 510 घरों मे विधुत कनेक्शन दिए जाने प्रस्तावित हैं जिनमे से 10 हजार 112 विधुत कनेक्शन बी.पी.एल. परिवारों को दिए जाने की योजना हैं। इस प्रकार जैसलमेर जिले मे ग्रामीण विद्युतिकरण कार्य पर 13 करोड़ 38 लाख 78 हजार रुपये व्यय किए जाएंगे।

बीकानेर जिले की पाँच पंचायत समितियों मे 792 गाँवों एवं 842 ढाणियों में 52 हजार 432 विधुत कनेक्शन दिए जाने प्रस्तावित हैं जिनमे से 41 हजार 481 विधुत कनेक्शन बी.पी.एल. परिवारों को दिए जाने की योजना हैं। इस प्रकार बीकानेर जिले मे ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यों पर 23 करोड़ 33 लाख 90 हजार रुपये व्यय किए जाएंगे।

सिरोही जिले की पाँच पंचायत समितियों मे 455 गाँवों एवं 506 ढाणियों में 33 हजार 557 विधुत कनेक्शन दिए जाने प्रस्तावित हैं जिनमे से 24 हजार 266 विधुत कनेक्शन बी.पी.एल. परिवारों को दिए जाने की योजना हैं। इस प्रकार सिरोही जिले मेग्रामीण विद्युतिकरण कार्यों पर 12 करोड़ 36 लाख 92 हजार रुपये व्यय किए जाएंगे।

जालोर जिले की सात पंचायत समितियों मे697 गाँवों एवं 713 ढाणियों में 73 हजार 799 विधुत

कनेक्शन दिए जाने प्रस्तावित हैं जिनमेसे 54 हजार 217 विधुत कनेक्शन बी.पी.एल. परिवारों को दिए जाने की योजना हैं। इस प्रकार जालोर जिले मेग्रामीण विद्युतिकरण कार्यों पर 23 करोड़ 67 लाख 41 हजार रुपये व्यय किए जाएंगे।

चूरू जिले की छह पंचायत समितियों मे854 गाँवों एवं 941 ढाणियों में 53 हजार 935 विधुत कनेक्शन दिए जाने प्रस्तावित हैं जिनमेसे 51 हजार 488 विधुत कनेक्शन बी.पी.एल. परिवारों को दिए जाने की योजना हैं। इस प्रकार चूरू जिले मेग्रामीण विद्युतिकरण कार्यों पर 19 करोड़ 62 लाख 48 हजार रुपये व्यय किए जाएंगे।

पाली और बाड़मेर जिले के ग्रामीण विद्युतिकरण की योजना पावर ग्रिड कारपोरेशन (पी.जी.सीआई.एल.) को दे दी गयी हैं। इनके प्रस्ताव पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा आर.ई.सी. को भिजवाये गये हैं। पाली जिले मे915 गाँवों एवं 173 ढाणियों में 54 हजार 587 विधुत कनेक्शन दिए जाएंगे जिनमेसे 46 हजार 532 विधुत कनेक्शन बी.पी.एल. परिवारों को दिए जाएंगे। इस प्रकार पाली जिले मेग्रामीण विद्युतिकरण कार्यों पर 42 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इसी प्रकार बाडमेर जिले मे1898 गाँवों एवं 37 ढाणियों में 91 हजार 297 विधुत कनेक्शन दिए जाएंगे जिनमेसे 68 हजार 591 विधुत कनेक्शन बीपी.एल. परिवारों को दिए जाएंगे। इस प्रकार बाडमेर जिले मेग्रामीण विद्युतिकरण कार्यों पर 73 करोड़ 42 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे।
नागौर जिले की लाडनू पंचायत समिति में 97 गाँवों एवं 107 ढाणियों में 3 हजार 74 विधुत कनेक्शन दिए जाने प्रस्तावित हैं जिनमेसे 2 हजार 814 विधुत कनेक्शन बी.पी.एल. परिवारों को दिए जाएंगे। इस प्रकार लाडनू पंचायत समिति में ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यों पर 1 करोड़ 16 लाख 6 हजार रुपये व्यय किए जाएंगे।

हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिलों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना में करवाए जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव जोधपुर डिस्कॉम द्वारा भारत सरकार को भिजवा दिए गए हैं, जिनके शीघ्र ही स्वीकृत होने की आशा है।

कुटीर ज्योति योजना-

यह योजना भी राजीवगांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना का हिस्सा है। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को जोधपुर डिस्कॉम द्वारा कुटीर ज्योति योजना में विधुत कनैक्शन जारी किये जाते हैं। इस योजना में विधुत कनैक्शन स्थापित करने के लिये बी.पी.एल. परिवार से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है। जिला प्रशासन द्वारा चयनित बी.पी.एल. परिवारों को प्रतिवर्ष आवंटित लक्ष्यों के अनुसार विधुत कनैक्शन जारी किये जाते हैं। इस योजना में विधुत कनैक्शन करने का सारा व्यय भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है।

फीडर सुधार कार्यक्रम -

जोधपुर डिस्कॉम द्वारा वर्ष 2003-04 में आरंभ किया गया फीडर सुधार कार्यक्रम एक बहुउद्देश्यीय एवं अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य जोधपुर डिस्कॉम के विधुत तंत्र को

मजबूत बनाना है ताकि प्रत्येक फीडर की प्रसारण एवं वितरण हानि को 15 प्रतिशत तक लाया जा सके तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी नगरों की भांति 24 घंटे की सिंगल फेज की अच्छी गुणवत्ता युक्त विधुत की आपूर्ति की जा सके।

इसके लिये जोधपुर डिस्कॉम द्वारा प्रथम चरण में 109 फीडर हाथ में लिये गये थे। ये फीडर ग्रामीण, शहरी एवं औद्योगिक फीडर थे। इन फीडरों पर जो कार्य किये जाने थे उनमें से अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। इस चरण में फीडर सुधार कार्यक्रम पर पूरा व्यय जोधपुर डिस्कॉम ने अपने स्रोतों से किया है।

इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में फीडर सुधार कार्यक्रम को तीन हिस्सों में बांट दिया गया है। शहरी क्षेत्र के फीडरों को अरबन फोकस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। औद्योगिक क्षेत्रों के फीडरों को इण्डस्ट्रियल फोकस कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित फीडरों को फीडर सुधार कार्यक्रम में रखा गया है। फीडर सुधार कार्यक्रम के दूसरे चरण में जोधपुर डिस्कॉम ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित 500 फीडर हाथ में लिये हैं। एक फीडर के सुधार पर औसतन 70 लाख से 80 लाख रुपये तक व्यय होता है। इस कार्यक्रम के वित्तीय व्यय के लिये जोधपुर डिस्कॉम ने आर.ई.सी. (ग्रामीण विद्युतिकरण निगम) से 181 फीडरों हेतु 197 करोड़ रुपये का ऋण 7.5 प्रतिशत की ब्याज दर से लिया है तथा कार्यक्रम को आगे चलाने हेतु ऋण प्रस्ताव बनाकर आर.ई.सी. को भेजे जा रहे हैं।

जोधपुर डिस्कॉम के पास वर्तमान में 11 के.वी. के कुल 3751 फीडर हैं जिनमें से 3300 फीडर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैं। इन सभी फीडरों को फीडर सुधार कार्यक्रम में शामिल किया जाना है।
इस प्रकार प्रथम चरण के 109 फीडरों पर फीडर सुधार कार्यक्रम पूरा हो गया है तथा 216 फीडरों पर चल रहा कार्य 2005-06 में पूरा हो जाने की आाशा है। 2700 फीडरों के लिये डी.पी.आर. की तैयारी हेतु टेण्डर्स आमंत्रित कर लिये गये हैं।

त्वरित ऊर्जा विकास व सुधार कार्यक्रम-

त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा वितरण निगमों को वाणिज्यिक दृष्टि से साध्य बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत प्राप्त धन का उपयोग उप प्रसारण एवं वितरण तंत्र के विकास एवं मजबूती के लिए किया जाता है जिससे कि वित्तीय स्थिति में सुधार, प्रसारण एवं वितरण तंत्र में हानि मे कमी, विधुत आपूर्ति एवं विश्वसनीयता में वृद्धि, ग्राहक संतुष्टि मेअभिवृद्धि कर कम्प्यूटरीकरण से पारदर्शिता लाई जा सके।

इस कार्यक्रम के तहत 33 के.वी. व 11 के.वी. लाइनों का निर्माण व 33/11 के.वी. तथा 11/0.4 केवी सब स्टेशनों की स्थापना, कैपेसीटर बैंक, एल. टी. कैपेसीटरों की स्थापना, एरियल बंच कंडक्टरयुक्त लाइनों को खींचना एवं कार्यालय के दैनिक उपयोग हेतु कम्प्यूटर इत्यादि की स्थापना प्रगति में है।

इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 31 मार्च 2005 तक जोधपरु डिस्कॉम की 377.27 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृति की गयी हैं।

ए. पी. डी. आर. पी. कार्यक्रम में योजना लागत का 50 प्रतिशत भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है जिसकी 50 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में तथा 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप मेहोती है। योजना लागत की शेष 50 प्रतिशत राशि निगम द्वारा स्वयं के स्रोत से अथवा पी. एफ.सी./आर. ई. सी. अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त की जाती है।

विधुत सुधार कार्यक्रम एवं विश्व बैंक से ऋण सहायता -

ऊर्जा क्षेत्र मेसुधार की आवश्यकता महसूस करते हुए भारत सरकार द्वारा जुलाई 1998 में विधुत नियामक आयोग कानून बनाया गया और फरवरी, 2000 में ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन एन. सी. ए. ई. आर. द्वारा तैयार किया गया विधुत विधेयक 2000 का प्रारूप चर्चा मेआया और राष्ट्रीय बहस के लिए रखा गया। उक्त विधेयक की विचारधारा विद्यमान राज्य विधुत मंडलों के विघटन सम्बन्धी थी तद्नुरूप राजस्थान भी उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हाल ही मे कई राज्यों ने ऊर्जा क्षेत्र सुधार एवं नियामक इकाई की स्थापना हेतु कई कदम उठाये हैं। राजस्थान भी उनमें से एक है जिन्होंने ऊर्जा क्षेत्र सुधारों के समर्थन में आवश्यक अधिनियम बनाया है। यह अधिनियम राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 के नाम से राज्य विधानसभा में 25 सितंबर 1999 को पारित किया गया तथा 30 दिसंबर 1999 को राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद राजपत्र में 10 जनवरी, 2000 को प्रकाशित हुआ तथा 1 जून 2000 से लागू किया गया। राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 लागू होने के बाद राजस्थान विधुत नियामक आयोग अस्तित्व मेआ गया है। प्रसारण एवं वितरण हेतु लाइसेंस देना, विधुत दरों के निर्धारण सम्बन्ध समस्त शक्तियां इसमें सन्निहित है। ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को आर्किर्षत करने, प्रसारण एवं वितरण क्षमता की वृद्धि करने तथा राज्य की जनता के चंहुमुखी लाभ हेतु ऊर्जा क्षेत्र के विकास का वातावरण तैयार करने सम्बन्ध उद्देश्यों को लेकर ऊर्जा क्षेत्र सुधार हेतु मई, 1999 में जारी नीति पत्र द्वारा तय किये गये कार्यक्रम के अंतर्गत 19 जुलाई 2000 को हस्तांतरण योजना 2000 के द्वारा पूर्व राजस्थान राज्य विधुत मंडल की संपत्तियों, दायित्वों एवं कार्मिकों को भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत पाँच कंपनियों राजस्थान राज्य विधुत उत्पादन निगम, राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण निगम, जयपुर विधुत वितरण निगम, अजमेर विधुत वितरण निगम और जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया है।

राज्य सरकार को विश्व बैंक से अगले 7-10 वर्षों में 880-1000 मिलियन डालर का ऋण राजस्थान पावर सैक्टर सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त होने की आशा है। उक्त में से 180 मिलियन डालर का प्रथम ऋण विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है तथा ऋण समझौतों पर 27/2/2001 को भारत सरकार, राजस्थान सरकार एवं पांचों कम्पनियों ने हस्ताक्षर किए है। इस ऋण राशि को प्रसारण एवं वितरण तंत्र को मजबूत करने, एल. टी. रहित वितरण तंत्र की स्थापना एवं मीटरिंग पद्धति और उपभोक्ता सेवाओं में सुधार हेतु काम लिया जायेगा। उक्त समझौते के तहत विश्व बैंक द्वारा तीनों विधुत वितरण कंपनियों के अधीन किये गये उपरोक्त कार्यों के लिए दिनांक 31/12/2004 तक लगभग 390.83 करोड रुपये की राशि का पुनर्भरण किया जा चुका है।